146

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी - 3- 11 /1/3/2011 भोपाल, दिनांक 25/8/2011
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
संमस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः- शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बावत्।

संदर्भः- इस विभाग का ज्ञापन क0 सी-3-4/1/3/2006 दिनांक 18.08.2008

संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निर्देश जारी किये गये है । उक्त ज्ञापन की कंडिका 10.1 निम्नानुसार है :-

"कंडिका 10.1 - अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर आवेदन न देने अथवा संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पद भी उपलब्ध न होने पर यदि इस आशय की लिखित सहमति दी जाती है कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन, अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवक के पति/पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे, तो इस, प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 (पांच) वर्षो तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की अधिवार्षिक आयु पर सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा। यह राशि संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी।"

2/ उपरोक्त प्रावधान प्रथम बार परिपत्र दिनांक 22.01.2007 द्वारा किया गया है इसके पूर्व यह प्रावधान नहीं था। अनुकम्पा नियुक्ति शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष तक रिक्त पद उपलब्ध होने पर पात्र आश्रित सदस्य को दी जा सकती है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक की मृत्यु यदि परिपत्र दिनांक 22.01.2007 जारी होने के पूर्व हुई हो और दिवंगत शासकीय सेवक के मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष की अवधि दिनांक 22.01.2007 या उसके बाद पूर्ण होती है और रिक्त

पद उपलब्ध न होने से अनुकम्पा नियुक्ति देना संभव न हो तो उसके परिवार के पात्र आश्रित सदस्य को लिखित सहमति दिये जाने पर परिपत्र दिनांक 22.01.2007, 18.8.08 की कंडिका 10.1 के विकल्प का लाभ दिया जा सकेगा ।

23/8/2011

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक सी–3– 11 /2011/3/एक, भोपाल, दिनांक-25/8/2011

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय।
22 निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सा0प्र0वि0

23/8/2011

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य. प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग